न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम–मुकुट सिंह , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–112 / 2023

दर्ज तिथि–23 / 10 / 2023

प्रार्थी

1. जगदीश पुत्र प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम दामोदरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. जयनारायण पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी ग्राम दामोदरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट, 1956

निर्णय   दिनांक 10 / 07 / 2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:–

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 313 / 1 रकबा 0.0126 है0. एवं खसरा नम्बर 316 रकबा 1.7450 है0. कुल किता 2 कुल रकबा 1.7576 है0. एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 0.8725 है0. एवं खसरा नम्बर 90 रकबा 0.9484 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.8209 है. वाके ग्राम बिराजपुरा पटवार हल्का टोडाभाटा भू–अभि. नि.क्षैत्र दुधली तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान में जिसको आगे चलकर वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह है कि प्रार्थी का हिस्सा 1 / 6 है जो कि प्रार्थी को अपने पिता स्व0 प्रभात पुत्र काना से विरासत में प्राप्त हुई है जिसका विधिवत नामान्तकरण प्रार्थी के हक में खुला है तथा प्रार्थी का सजरा खानदान निम्न प्रकार है–:

धिकारी
–जयपुर

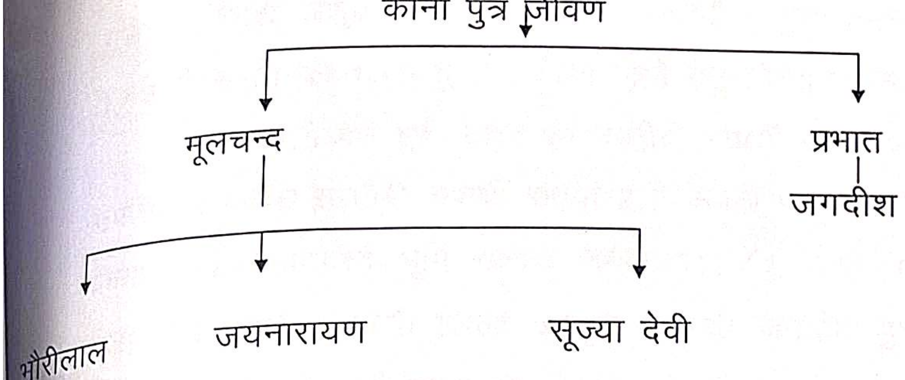

3. यह कि 2072 से 2075 में चौसाला परिवर्तन के समय प्रार्थी के नाम में अंकन भौरीलाल पुत्र मूलचन्द सूज्या पत्नि मूलचन्द, जगदीश पुत्र प्रभात हिस्सा 1/9 एवं जयनारायण पूत्र मूलचन्द हिस्सा 1/9 अंकन हो गया जो उक्त अंकन अशुद्व व लिपिकिय त्रृटि से त्रृटिवश गलत अंकन हो गया ओर कालान्तर में आगे सम्वत 2076 से 2079 में प्रार्थी का अपनी खातेदारी में हिस्सा 1/6 के सीान पर 1/9 अंकन हो गया। जबकि तरतीबी पक्षकार जयनारायण पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 1/18 के स्थान पर 1/9 अंकन हुआ जो कि गलत व त्रृटिवश अंकन हुआ है।

4. प्रार्थना पत्र में गलत इन्द्राज को न्यायहित में दुरूस्त सही किया जाकर प्रार्थी का उपरोक्त अराजीयात खसरा नम्बर 313/1, 316, 68, 90 ग्राम बिराजपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थी का हिस्सा सही व शुद्व 1/6 दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

5. यह कि उपरोक्त खतौनी सम्वत 2072 से 2075 को तैयार करते समय प्रार्थी का हिस्सा 1/6 अंकन होने से रह गया जिसके कारणवश आगे की जमाबन्दीयों में लिपिकीय त्रृटि निरन्तर होती आ रही है जो कि सहवन से गलत अंकन है और उक्त गलत अंकन को धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 313/1 रकबा 0.0126 है0. एवं खसरा नम्बर 316 रकबा 1.7450 है0. कुल किता 2 कुल रकबा 1.7576 है0. एवं खसरा नम्बर 68 रकबा 0.8725 है0. एवं खसरा नम्बर 90 रकबा 0.9484 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.8209 है. वाके ग्राम बिराजपुरा पटवार हल्का टोडाभाटा भू–अभि.नि.क्षैत्र दुधली तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान में प्रार्थी का गत खातेदारी जमाबन्दी में वर्णित अर्थात सम्वत 2072 से 2075 व सम्वत 2076 से 2079 में वर्णित खातेदार प्रार्थी जगदीश पुत्र प्रभात का हिस्सा 1/9 जो कि

गलत त्रृटिवश अशुद्व अंकित है। प्रार्थी जगदीश पुत्र प्रभात का हिस्सा 1/9 के स्थान पर 1/6 दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता उपस्थित। वकील तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना जवाब पेश कर स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 313/1, 316, 68, 90 ग्राम बिराजपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थी जगदीश पुत्र प्रभात जाट जाति जाट निवासी दामोदरपुरा का हिस्सा 2072 –75 व 2076–79 में हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/9 गलत अकंन हो गया है तथा जयनारायण पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी ग्राम दामोदरपुरा का हिस्सा 1/18 के स्थान पर 1/9 हो गया है को प्रार्थी जगदीश पुत्र प्रभात जाट हिस्सा 1/9 के स्थान पर 1/6 तथा जयनारायण पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 1/9 के स्थान पर 1/18 दुरूस्त किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत की है।

पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं वकील अप्रार्थी की पूर्व में प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट का अवलोकन करने तथा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब में सहमति के पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल. आर .एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 313/1, 316, 68, 90 ग्राम बिराजपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थी जगदीश पुत्र प्रभात जाट जाति जाट निवासी दामोदरपुरा का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी जगदीश पुत्र प्रभात जाट हिस्सा 1/9 के स्थान पर 1/6 तथा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 जयनारायण पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 1/9 के स्थान पर 1/18 दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जाँच कर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार बस्सी को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10/07/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/7/2024

(मुकुट सिंह आए.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर